

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: संयुक्त विज्ञापन सं.- 05/भर्ती/2014-15

दिनांक : 27.11.2014

आयोग द्वारा निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

भू-जल विभाग के लिए पद क्रम संख्या 1 से 4 तक के पदों की राजस्थान भू जल सेवा नियम, 1969 के अन्तर्गत एवं पद क्रम संख्या 5 के पद की राजस्थान भू जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973 के अन्तर्गत भर्ती तथा आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के अधीन संचालित राजकीय आयुर्वेद औषध परीक्षण प्रयोगशाला, अजमेर के लिए पद क्रम संख्या 6 से 8 तक के पदों की राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई/अस्थाई-स्थाई होने की सम्भावना। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है:- (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है)

पद क्र. सं.	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	अनारक्षित पद				आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)												
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग	नि:शक्तजन			
			सा.	महिला	सा.	महिला	सा.	महिला	सा.	महिला									
1	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) (भू-जल विभाग)	11	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
2	सहायक अभियन्ता (सिविल) (भू-जल विभाग)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक (भू-जल विभाग)	15	5	1	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	-
4	कनिष्ठ रसायनज्ञ (भू-जल विभाग)	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5	तकनीकी सहायक (रसायन) (भू-जल विभाग)	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	बोटनिस्ट (आयुर्वेद विभाग)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	केमिस्ट (आयुर्वेद विभाग)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	एनालिस्ट (आयुर्वेद विभाग)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं -

- (i) पद क्रम संख्या 1 के लिए :- B.E. (Mech.) of a University established by law in India or qualification declared equivalent thereto by the Government or Degree or Diploma in Mechanical Engineering of a Foreign University or Institution declared by Government to be equivalent to a Degree of a University established by law in India.
- पद क्रम संख्या 2 के लिए :- Must hold a Degree in Civil Engineering of University established by law in India or a Degree/Diploma of a Foreign University or Institution declared equivalent thereto by the Government.
- पद क्रम संख्या 3 के लिए :- M.Sc./M.Tech./M.Sc. (Tech.) in Geology or applied Geology from a University established by Law in India, or Diploma in applied Geology from Indian school of Mines, Dhanbad.
- पद क्रम संख्या 4 के लिए :- M.Sc. in Inorganic Chemistry or Analytical Chemistry from a University or Institution established by Law in India. 2 year' experience of water and silicate analysis.
- पद क्रम संख्या 5 के लिए :- M.Sc. in Chemistry.
- पद क्रम संख्या 6 के लिए :- M. Pharma or M.Sc. (Botany) from a University established by law in India. Preference shall be given to the person having Ph.D. in concern subject from a University established by law in India.
- पद क्रम संख्या 7 के लिए :- M. Pharma or M. Sc. (Chemistry) from a University established by law in India. Preference shall be given to the person having Ph.D. in concern subject from a University established by law in India.
- पद क्रम संख्या 8 के लिए :- (1) A degree in Ayurved from a University established by law in India and recognized under Indian Medicine Central Council Act, 1970. AND (2) A Post graduate qualification in the Ras Shastra/Dravya Guna from a University established by law in India and recognized under Indian Medicine Central Council Act, 1970.

(ii) उक्त सभी पदों के लिए :- Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

रनिंग पे-बेण्ड	पद क्रम संख्या 1 से 4 तक के लिए - रनिंग पे-बेण्ड-3 (15600-39100) ग्रेड पे रू. 5400/- पद क्रम संख्या 5 के लिए - रनिंग पे-बेण्ड-2 (9300-34800) ग्रेड पे रू. 4200/- पद क्रम संख्या 6 से 8 तक के लिए - रनिंग पे-बेण्ड-3 (15600-39100) ग्रेड पे रू. 5400/-
आयु सीमा	पद क्रम संख्या 1 से 5 तक के लिए :- दिनांक 01.01.2015 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष से कम। पद क्रम संख्या 6 से 8 तक के लिए :- दिनांक 01.01.2015 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3	सामान्य वर्ग की महिला	5
4	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	नि:शक्तजन	10
	सामान्य	10
	पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
नोट :- राजस्थान नि:शक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है-“Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit.”		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। (पद क्र.सं. 1 से 8 तक के लिए)	
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी। (पद क्र.सं. 1 से 8 तक के लिए)	
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। (पद क्र.सं. 1 से 8 तक के लिए)	
4	एन.सी.सी. के कैंडिड प्रशिक्षकों के मामले में उपरिपरि अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा। (पद क्र.सं. 1 से 8 तक के लिए)	
5	निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण के समय आयुसीमा की दृष्टि से पात्र थे। (पद क्र.सं. 1 से 8 तक के लिए)	
6	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबस्टैन्टिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। (पद क्र.सं. 1 से 5 तक के लिए)	
7	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। (पद क्र.सं. 1 से 5 तक के लिए)	
8	That the upper age limit mentioned above shall be relaxed upto 45 years for the persons repatriated from Burma and Ceylon on or after 1-3-1963 and East African countries of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar with a further Commissioned Officers in the various Service Rules specified in the Schedule appended hereto, namely. (पद क्र. सं. 1 से 4 तक के लिए)	
9	That the upper age limit mentioned above shall be relaxed upto 45 years for the persons repatriated from Burma and Ceylon on or after 1-3-1963 and East African countries of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar with a further relaxation upto 5 years in the case of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. (पद क्र. सं. 5 के लिए)	
10	कोनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। (केवल पद क्र. सं. 5 के लिए)	
11	सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। (केवल पद क्र. सं. 5 के लिए)	
12	रिजर्विस्ट्स जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रान्सफर हो गया है, के लिये 50 वर्ष होगी। (पद क्र.सं. 6 से 8 तक के लिए)	

13	The upper age limit mentioned above, for the person who is continuously working on contract basis as Ayurved Chikitsadhikari, Homoeopathy Chikitsadhikari, Unani Chikitsadhikari in Government, Chief Minister BPL Jeevan Raksha Kosh, National Rural Health Mission shall be relaxed by the period equal to the service rendered by him subject to maximum of five years. (पद क्र.सं. 6 से 8 तक के लिए)
----	--

नोट -

- (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise)के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।
- (3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए-II/2008 दिनांक-23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी।

पूर्व में सहायक अभियंता (यांत्रिक) व कनिष्ठ रसायनज्ञ के पदों हेतु आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को/सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए दिनांक 01.01.1981 को/कनिष्ठ भू जल वैज्ञानिक के लिए दिनांक 01.01.1996 को तथा तकनीकी सहायक (रसायन) के लिए दिनांक 01.01.1997 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2015 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में क्रमशः पद क्रम संख्या 1 व 4 के लिए दो वर्ष की छूट तथा पद क्रम संख्या 2, 3 एवं 5 के लिए तीन वर्ष की छूट देय होगी। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए-II/2008 दिनांक-23.09.2008 के अनुसार पद क्रम संख्या 6 से 8 तक के पदों हेतु उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट देय नहीं होगी क्योंकि उक्त पद आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञापित किए जा रहे हैं।

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान (पद क्रम संख्या 1, 2, 3, 5,6,7 एवं 8 हेतु)	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। स्पष्टीकरण- उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा अजमेर में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ लिखित रूप में ली जायेगी। सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 01-12-2014 से दिनांक 30-12-2014 रात्रि 12-00 बजे तक

(आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधधीन परिवर्तनीय होगी। इस प्रकार संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है, तो भर्ती/परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसके लिए यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।)

विशेष नोट :- डिप्लोमा धारी अभ्यर्थी ऑन लाईन फॉर्म भरते समय सीनियर सैकेण्डरी अथवा स्नातक के कॉलम में अपने डिप्लोमा का उत्तीर्ण वर्ष भरें।

विशेष सूचना :- "यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब-साइट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के तहत आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं 'Guidelines for Edit Application' का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 01.01.14 को जारी परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबंधित सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> या <http://rpsconline.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.-0145-5151212 एवं 5151200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव

क्रमांक : संयुक्त विज्ञापन सं.- 05/भर्ती/2014-15/906

दिनांक : 27.11.2014

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत संयुक्त विज्ञापन संख्या - 05/भर्ती/2014-15 राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है।

उपसचिव